समता आन्दोलन समिति (रजि.)

प्रान्तीय कार्यालय :जी-3, संगम रेजीडेन्सी, प्लाट नं. 9-10, गंगाराम की ढाणी, वैशाली नगर, जयपुर

Website :www.samtaandolan.co.in Email :samtaandolan@yahoo.in

माननीय श्री पानाचन्द जैन — संरक्षक (पूर्व न्यायाधिपति)

माननीय श्री अशोक कुमार सिंह — संरक्षक (पूर्व मेजर जनरल)

माननीय श्री भागीरथ शर्मा — संरक्षक (पूर्व आई. ए. एस.)

श्री इकराम राजस्थानी
सलाहकार, मो. 098290-78682

पाराशर नारायण शर्मा
अध्यक्ष, मो. 094133-89665

विमल चौरड़िया
महासचिव , मो. 094140-58289

ललित चाचाण
कोषाध्यक्ष , मो. 094140-95368

प्रान्तीय उपाध्यक्ष एवं पदेन सम्भागीय अध्यक्ष :-

जयपुर
ऋषिराज राठौड़
मो. 9694348039

अजमेर
एन. के.झामड़
मो. 9414008416

बीकानेर
वाई. के. योगी
मो. 9414139621

भरतपुर
हेमराज गोयल
मो. 9460926850

जोधपुर
प्रहलाद सिंह राठौड़
मो. 9414085447

कोटा
डॉ. अनिल शर्मा
मो. 9414662244

उदयपुर
दूल्हा सिंह चूण्डावत
मो. 9571875488

क्रमांक 65712 दिनांक : 08.07.2023

श्रीमान अशोक गहलोत साहेब,
मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार,
जयपुर– 302005

विषयः– संविधान के अनुच्छेद 14 एवं 21 का उल्लंघन करने वाली डा0 सविता बेन अम्बेडकर अन्तर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना 2017 को संशोधित करने अथवा निरस्त करने बाबत।

संदर्भः– सामान्य वर्ग के नागरिकों का सरकारी स्तर पर अपमान बंद करने की प्रार्थना।

महोदय,

विनम्र निवेदन है कि राज्य सरकार द्वारा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के ज़रिये तथाकथित जाति विभेद एवं छुआछूत उन्मूलन तथा सामाजिक सौहार्द को बढावा देने के लिए डा0 सविता बेन अम्बेडकर अन्तर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना 2017 चलाई जा रही है। यह योजना अपने आप में जाति विभेद एवं छुआछूत को बढाने वाली तथा सामाजिक सौहार्द को बिगाडने वाली होने के साथ–साथ तथाकथित हिन्दु सवर्ण (सामान्य वर्ग) जातियों के लिए अपमानजनक और घृणा फैलाने वाली है। इस योजना में हिन्दु सवर्ण जातियों के युवक–युवती से अनुसूचित जाति के युवक–युवती के विवाह को प्रोत्साहन देने के लिए सरकारी स्तर पर पांच लाख रूपये की प्रोत्साहन राशि देने की व्यवस्था है।

इस योजना से सरकारी स्तर पर यह प्रदर्शित करने का प्रयास किया गया है कि तथाकथित हिन्दु सवर्ण जातियों द्वारा अनुसूचित जाति के लोगों से छुआछूत या भेदभाव किया जाता है जबकि यह प्रकटतः प्रमाणित है कि तथाकथित हिन्दु सवर्ण जातियों (सामान्य वर्ग) द्वारा अनुसूचित जाति या अन्य किसी भी जाति वर्ग के लोगों से न्यूनतम अथवा नगण्य जातिगत भेदभाव या छुआछूत किया जाता है। यह तथ्य सरकार द्वारा एट्रोसिटी एक्ट के अधीन दर्ज करवाये गये मुकदमों के जातिवार विश्लेषण से स्वतः प्रमाणित हो जाता है। इस योजना से सरकारी स्तर पर यह भी प्रमाणित करने का प्रयास किया गया है कि ओबीसी वर्ग द्वारा अनुसूचित जातिवर्ग से कोई जातिगत भेदभाव या छुआछूत नहीं किया जाता है। इसके अलावा यह भी प्रदर्शित करने का प्रयास किया गया है कि तथाकथित सवर्ण जतियों(सामान्य वर्ग) में शामिल जातियों द्वारा आपस में अथवा ओबीसी वर्ग में शामिल जातियों द्वारा आपस में अथवा अनुसूचित जाति वर्ग में शामिल जातियों द्वारा आपस में अथवा अनुसूचित जनजाति वर्ग में शामिल जनजातियों द्वारा आपस में कोई जातिगत भेदभाव या छुआछूत नहीं किया जाता है और इन सभी जातियों के आपस में विवाह सामान्यतः हो रहे हैं।

वास्तव में तथ्य इसके बिल्कुल विपरीत हैं। अनुसूचित जाति वर्ग की जातियों में भंयकर छुआछूत है, जैसे अनुसूचित जाति सूची में शामिल कोई भी जाति आपस में शादी–विवाह नहीं करती है। बहुत सी जाति वर्ग के लोग दूसरी जातिवर्ग के लोगों के घर का या उनका हाथ लगा हुआ पानी तक नहीं पीते हैं। अनुसूचित जनजाति वर्ग में शामिल जनजातियॉ भी आपस में शादी–विवाह नहीं करते हैं। इसी प्रकार ओबीसी वर्ग की जातियॉ भी आपस में कोई शादी–विवाह नहीं करते हैं और बहुत से लोग अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों से छुआछूत भी करते हैं। सामान्य वर्ग में शामिल जाति वर्ग के लोग सामान्यतः अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों से कोई छुआछूत नहीं रखते है या बेहद कम (नगण्य) उदाहरण छुआछूत के मिलते है। लेकिन सामान्य वर्ग में शामिल जातियों में भी आपस में शादी–विवाह तथा अन्य वर्ग की जातियों में शादी विवाह नहीं किया जाता है।

(लगातार–– 2)

समता आन्दोलन समिति (रजि.)

प्रान्तीय कार्यालय :जी-3, संगम रेजीडेन्सी, प्लाट नं. 9-10, गंगाराम की ढाणी, वैशाली नगर, जयपुर

Website :www.samtaandolan.co.in Email :samtaandolan@yahoo.in

माननीय श्री पानाचन्द जैन — संरक्षक (पूर्व न्यायाधिपति)

माननीय श्री अशोक कुमार सिंह — संरक्षक (पूर्व मेजर जनरल)

माननीय श्री भागीरथ शर्मा — संरक्षक (पूर्व आई. ए. एस.)

श्री इकराम राजस्थानी
सलाहकार, मो. 098290-78682

पाराशर नारायण शर्मा
अध्यक्ष, मो. 094133-89665

विमल चौरड़िया
महासचिव , मो. 094140-58289

ललित चाचाण
कोषाध्यक्ष , मो. 094140-95368

प्रान्तीय उपाध्यक्ष एवं पदेन सम्भागीय अध्यक्ष :-

जयपुर
ऋषिराज राठौड़
मो. 9694348039

अजमेर
एन. के.झामड़
मो. 9414008416

बीकानेर
वाई. के. योगी
मो. 9414139621

भरतपुर
हेमराज गोयल
मो. 9460926850

जोधपुर
प्रहलाद सिंह राठौड़
मो. 9414085447

कोटा
डॉ. अनिल शर्मा
मो. 9414662244

उदयपुर
दूल्हा सिंह चूण्डावत
मो. 9571875488

क्रमांक (2) दिनांक :

हमारी जानकारी में यह आया है कि राज्य सरकार द्वारा जो उपरोक्त योजना चलाई जा रही है वह केवल दिखावे के लिये है, इसके लिये नाममात्र का बजट दिया जाता है, और उस नाम मात्र के बजट में से भी बेहद कम राशि का उपयोग साल भर में होता है।

उपरोक्त तथ्यात्मक परिस्थितियॉ यह प्रमाणित करती हैं कि राज्य सरकार द्वारा चलायी जा रही उपरोक्त योजना पूरी तरह भेदभावपूर्ण है, जातिगत दुर्भावनाओं को बढाने वाली है, सामाजिक सौहार्द को बिगाडने वाली है, तथाकथित सवर्ण जातियों (सामान्य वर्ग) के समतावादी नागरिकों को बेवजह अपमानित करने वाली होने के कारण भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 के प्रावधानों का सरासर उल्लंघन है।

अतः आपसे प्रार्थना है कि:-

1. उपरोक्त योजना को तत्काल संशोधित करवाते हुये सामान्य वर्ग की जातियों के आपस में शादी-विवाह, ओबीसी वर्ग की जातियों के आपस में शादी विवाह, अनुसूचित जाति वर्ग की जातियों में आपस में शादी विवाह, अनुसूचित जनजाति वर्ग की जनजातियों में आपस में शादी-विवाह और सामान्य वर्ग, ओबीसी वर्ग, अनुसूचित जाति वर्ग, अनुसूचित जनजाति वर्ग में शामिल जातियों, जनजातियों के एक दूसरे वर्ग की जातियों से शादी-विवाह को समान रूप से प्रोत्साहन राशि दिये जाने के प्रावधान इस योजना में किये जायें। अथवा
2. उपरोक्त सामान्य वर्ग के प्रति विभेदकारी और अपमानजनक इस अन्तर्जातीय विवाह योजना को तत्काल निरस्त किया जावे।

कृपया त्वरित सकारात्मक कार्यवाही के लिए अग्रिम धन्यवाद।

भवदीय,

पाराशर नारायण
अध्यक्ष

प्रतिलिपिः- सभी सम्मानीय विधायकगणों को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

पाराशर नारायण
अध्यक्ष